छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर
===0===

क्रमांक एफ 13–73/2011/20–3 नया रायपुर, दिनांक 5-2-14

प्रति,

उप संचालक,
शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय,
गोंदवारा, भनपुरी,
रायपुर–छत्तीसगढ़ ।

विषय :– **स्कूल शिक्षा विभाग की हिन्दी एवं अंग्रेजी अधिसूचना क्रमांक एफ 13–73/2011/20–3, दिनांक 03.02.2014 अधिसूचना का प्रकाशन की प्रतियां उपलब्ध कराने बाबत् ।**

संदर्भ :– अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर का पत्र क्रमांक 258/214/2014/1/5, दिनांक 03.02.2014 ।

––00––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें । निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 2 के खण्ड (ज) एवं छत्तीसगढ़ निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 9 एवं 10 के विषयक अधिसूचना **राजपत्र (असाधारण) दिनांक 03.02.2014** को तत्काल प्रकाशन संबंध आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें । मुद्रण हेतु अधिसूचना की सुस्पष्ट, पठनीय मूल हस्ताक्षरित प्रति आपकी भेजी जा रही है।

2/– कृपया मुद्रण की प्रतियां प्राप्त करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर को विभाग की ओर से अधिकृत किया जाता है । कृपया अधिसूचना की प्रतियां जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर को प्रदाय करने का कष्ट करें ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

5/2/14
(एम.एन.राजूरकर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 13–73/2011/20–3 नया रायपुर, दिनांक .....
प्रतिलिपि :–

जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर को पालनार्थ प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उक्त अधिसूचनाओं के प्रकाशन पश्चात् प्रतियां विभाग में उपलब्ध कराये।

5/2/14
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर
===0===
:: अधिसूचना ::

नया रायपुर, दिनांक 3.2.2014

क्रमांक एफ 13–73/2011/20–3 :: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 2 के खण्ड (ज) एवं छत्तीसगढ़ निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 9 एवं 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, उक्त अधिनियम एवं नियमों के प्रयोजनों के कार्यान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में, निम्नलिखित ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को उनके तत्संबंधी क्षेत्राधिकार के अन्दर स्थानीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात :–

(क) किसी जिला पंचायत क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विद्यालयों के संबंध में, जिला पंचायत ;

(ख) किसी जनपद पंचायत क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विद्यालयों के संबंध में, जनपद पंचायत ;

(ग) किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विद्यालयों के संबंध में, ग्राम पंचायत ;

(घ) किसी नगर निगम क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विद्यालयों के संबंध में, नगर निगम ;

(ङ) किसी नगर पालिका परिषद् क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विद्यालयों के संबंध में, नगर पालिका परिषद् ;

(च) किसी नगर पंचायत क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विद्यालयों के संबंध में, नगर पंचायत ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सी.एस.डेहरे)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION
:: MANTRALAYA ::
MAHANADI BHAWAN, NAYA RAIPUR
====0====

:: **NOTIFICATION** ::

Naya Raipur : 03.02.2014

No. F 13-73/2011/20-3 :: In exercise of the powers conferred by Clause (h) of Section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (No. 35 of 2009) and rule 9 and 10 of the Chhattisgarh Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2010, the State Government, hereby, notifies that, Chhattisgarh State, the following rural and urban local bodies shall act as Local Authority within their jurisdiction to carry out the purposes of the said Act and Rules, namely :-

(a) In relation to schools in the area under the administrative control of a Zilla Panchayat, the Zilla Panchayat ;

(b) In relation to schools in the area under the administrative control of a Janpad Panchayat, the Janpad Panchayat ;

(c) In relation to schools in the area under the administrative control of a Gram Panchayat, the Gram Panchayat ;

(d) In relation to schools in the area under the administrative control of any Municipal Corporation, the Municipal Corporation ;

(e) In relation to schools in the area under the administrative control of any Municipal Council, the Municipal Council ;

(f) In relation to schools in the area under the administrative control of any Nagar Panchayat, the Nagar Panchayat .

By Order and in the name of the
Governor Of Chhattisgarh

(C.S. Dehare)
Deputy Secretary
Govt of Chhattesgarh
School Education Department

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नया रायपुर

क्रमांक 46 /स्कूल शिक्षा/2014 नया रायपुर, दिनांक 23 जनवरी, 2014.

प्रति,

1. **संचालक,**
   लोक शिक्षण संचालनालय,
   रायपुर (छ.ग.)
2. **संचालक,**
   एस.सी.ई.आर.टी.,
   रायपुर (छ.ग.)
3. **संचालक,**
   एस.एस.ए.,
   रायपुर (छ.ग.)

विषयः— **शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 32 के अंतर्गत शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने बाबत्।**

———————

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 32 के अन्तर्गत शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। कृपया अवगत हों।

संलग्नः—यथोपरि.

(दिनेश श्रीवास्तव)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक 46 /स्कूल शिक्षा/2014, नया रायपुर, दिनांक 23 जनवरी, 2014.

प्रतिलिपिः—

निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्र 5/आ13-47/2010/20-3 नया रायपुर, दिनांक 28/01/2014

प्रति,

1. **समस्त कलेक्टर ,**

   छत्तीसगढ़।

2. **समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**

   जिला पंचायत, छत्तीसगढ़।

3. **समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,**

   छत्तीसगढ़।

विषयः— **शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 32 के अंतर्गत शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने बावत्।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत होना चाहेगें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 क में 6–14 आयु वर्ग के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में उपबन्धित है। इसके क्रियान्वयन के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 अधिनियमित है।

2. अधिनियम की धारा 32 में बालकों के अधिकार से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु उसकी अधिकारिता रखने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा किए जाने की व्यवस्था की गई है। इसमें:—

(एक) धारा 31 मे किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी बालक के अधिकार के संबंध में कोई शिकायत है, अधिकारिता रखने वाले सक्षम अधिकारी को लिखित में शिकायत कर सकेगा।

(दो) उपधारा (1) के अधीन शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् सक्षम अधिकारी संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए मामले का तीन माह की अवधि के भीतर निपटारा करेगा।

(तीन) सक्षम अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अथवा धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन विहित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।

(चार) उपधारा (3) के अधीन की गई अपील का विनिश्चय धारा 31 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन उपबंधित यथा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अथवा धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा किये जा सकते है।

3. उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि बालकों की शिक्षा के अधिकार से जुड़ी शिकायतों के निराकरण हेतु समुचित व्यवस्था हो।

4. इसी परिप्रेक्ष्य में ग्राम, जनपद एवं जिला पंचायत स्तर पर ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में निम्नानुसार शिकायत निवारण प्रणाली लागू किए जाने के निर्देश दिए जाते हैं:–

(एक)राज्य के जिला, जनपद एवं समस्त ग्राम पंचायत स्तर के शिक्षा/आदिम जाति कल्याण विभाग के कार्यालयों में एक किसी अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार के रूप में **शिकायत निवारण अधिकारी** नियुक्त किया जावे।

(क) कार्यालय में शिकायत का क्रमांक, शिकायतकर्ता का नाम, शिकायतकर्ता का फोन/ मोबाइल नम्बर, पता, शिकायत प्राप्ति की तिथि, शिकायत का विषय एवं शिकायत निवारण अधिकारी का नाम इत्यादि का उल्लेख करते हुए एक शिकायत पंजी संधारित की जाए।

(ख) कोई भी शिकायत संबंधित कार्यालय की शिकायत प्रकोष्ठ में की जाएगी और यदि शिकायत का निराकरण किसी अन्य प्राधिकारी से होना हो तो शिकायत को मूल रूप में संबंधित अधिकारी को शिकायत प्राप्ति की तिथि से 05 दिनों के भीतर अंतरित किया जायेगा।

(ग) संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा प्रत्येक वर्ष सितम्बर एवं मार्च में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निराकरण की सूचना सचिव/प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन को उपलब्ध कराने की कार्यवाही किया जाना बाध्यकारी रहेगा।

5. क्षेत्र के किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियम के प्रावधानों से जुड़े बालकों के किसी अधिकार के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर :–

(एक) शिकायत दो प्रतियों में प्राप्त किया जाए।

(दो) सर्वप्रथम शिकायत को पंजी में दर्ज किया जाए।

(तीन) शिकायतकर्ता को शिकायत प्राप्त होने की तिथि सहित प्राप्ति रसीद दिया जाए।

(चार) शिकायत जिस व्यक्ति/संस्था के विरूध्द है, उसे शिकायत की प्रति भेजते हुये शिकायत के संबंध में उसका पक्ष प्रस्तुत करने के लिए नियमानुसार पत्र भेजा जाना तथा ऐसी शिकायत प्राप्त होने के 05 दिन के अंदर अनिवार्य रूप से सूचना संबधित को दे दी जावे। सूचना की पावती अनिवार्यतः अभिलेखों में शामिल रखी जाए।

(पांच) यदि संबंधित व्यक्ति/संस्था से 15 दिन के अंदर उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो उसे स्मरण पत्र भेजते हुए और 15 दिन का समय दिया जाए।

(छः) यदि संबंधित व्यक्ति/संस्था से स्मरण पत्र के बाद भी उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो उसे पुनः 15 दिन का समय देते हुये पुनः यह स्पष्ट किया जाए कि यदि निर्धारित तिथि तक उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो शिकायतकर्ता की शिकायत को सही मानते हुये अधिनियम के प्रावधानों के तहत अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।

(सात) संबंधित व्यक्ति/संस्था से उत्तर प्राप्त होने पर अधिनियम के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में उसका निराकरण करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को प्रति देते हुए अवगत कराया जाए।

(आठ) संबंधित व्यक्ति/संस्था यदि स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहती है तो उसे सुनवाई का अवसर दिया जाए।

(नौ) शिकायत और संबंधित संस्था/व्यक्ति से प्राप्त उत्तर तथा अन्य आवश्यक साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण निराकृत किया जाए और यदि शिकायत पर कोई अग्रिम कार्यवाही की जानी है तो सक्षम अधिकारी को निर्णय से अवगत कराते हुये शिकायत का निराकरण किया जाए।

(दस) प्रत्येक दशा में शिकायत का निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाए।

(ग्यारह) शिकायत निराकरण की सूचना शिकायतकर्ता को भी दी जाए।

(बारह) यदि किसी अधिकारी/ शिक्षक/कर्मचारी द्वारा दुर्भावनापूर्ण शिकायत निराकरण में उचित कार्यवाही न की गई हो या विलम्ब आदि दृष्टिगोचर होता हो, तो उसके विरूध्द विभागीय कार्यवाही नियमान्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा की जा सकेगी।

अतः उपरोक्त निर्देशों के साथ विभिन्न विषयों के लिए शिकायत निवारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी 1 से 52 तक संलग्न है।

यह आदेश तत्काल लागू होंगे।

(दिनेश श्रीवास्तव)
सचिव
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

शिक्षा के अधिकार के विषय बिन्दु, सक्षम अधिकार एवं अपीलीय अधिकार

क्र.	मुख्य विषय से संबंधित अधिकार विषय	सक्षम अधिकारी का नाम जिसके द्वारा कार्यवाही अपेक्षित है।	सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर अपील सुनने के लिए अपीलीय अधिकारी	अभ्युक्ति
विद्यालय की सुविधा				
1	विद्यालय की सुविधा	जिला शिक्षा अधिकारी	संचालक लोक शिक्षण संचालनालय , छ.ग.	अपीलीय अधिकार द्वारा सामान्यतः 30 दिनों के अंदर शिकायत संबंधी अपील की सुनवाई कर निष्पादन किया जाऐगा। अपीलीय प्राधिकार के निर्णय से असतुष्ट होने पर आवेदनकर्ता सीधे राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अपील दायर कर सकेगें।
2.	स्थानीय प्राधिकार एवं विद्यालय में 6–14 वर्ष के बच्चों का प्रवेश	RTE अंतर्गत अधिसूचित नोडल अधिकारी *	जिला शिक्षा अधिकारी	
3	पड़ोस के प्रत्येक गांव/टोला के लिए विद्यालय की घोषणा (1 कि.मी. के अंदर मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय एवं 3 कि.मी. के अंदर मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय)	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी	
4	विद्यालय जाने मे बच्चों की सुरक्षा का ध्यान (नदी, पहाड़, खाई आदि)	RTE अंतर्गत अधिसूचित नोडल अधिकारी *	जिला शिक्षा अधिकारी	
5	आवश्यकतानुसार विद्यालय जाने हेतु वाहन की व्यवस्था से संबंधित	जिला शिक्षा अधिकारी	संचालक लोक शिक्षण संचालनालय , छ.ग.	
6	निःशक्त बच्चों के लिए सहायक उपकरण की व्यवस्था से संबंधित	जिला शिक्षा अधिकारी	संचालक लोक शिक्षण संचालनालय , छ.ग.	
विद्यालय में नामांकन				
7	स्कूल में प्रवेश हेतु जन्म प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं	RTE अंतर्गत अधिसूचित नोडल अधिकारी *	जिला शिक्षा अधिकारी	

* प्रत्येक जिले में RTE अंतर्गत अधिसूचित नोडल अधिकारी (प्राचार्य, शासकीय हाईस्कूल) की सूची को शिक्षा विभाग के समस्त शासकीय कार्यालयों में जनसुविधा हेतु सूचना फलक पर प्रदर्शित करना अनिवार्य रहेगा।

8	उम्र के अनुकूल वर्ग में नामांकन	RTE अंतर्गत अधिसूचित नोडल अधिकारी *	जिला शिक्षा अधिकारी	
9	विलंब से नामांकन वाले बच्चों के विशेष पढ़ाई	RTE अंतर्गत अधिसूचित नोडल अधिकारी *	जिला शिक्षा अधिकारी	
10	नामांकन के लिए कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं	RTE अंतर्गत अधिसूचित नोडल अधिकारी *	जिला शिक्षा अधिकारी	
11	शिक्षा हेतु कोई शुल्क नहीं	RTE अंतर्गत अधिसूचित नोडल अधिकारी *	जिला शिक्षा अधिकारी	
12	नामांकन फॉर्म के लिए कोई शुल्क नहीं	RTE अंतर्गत अधिसूचित नोडल अधिकारी *	जिला शिक्षा अधिकारी	
13	कोई Donation शुल्क नहीं	RTE अंतर्गत अधिसूचित नोडल अधिकारी *	जिला शिक्षा अधिकारी	
14	कोई प्रवेश शुल्क नहीं	RTE अंतर्गत अधिसूचित नोडल अधिकारी *	जिला शिक्षा अधिकारी	
15	वर्ष भर नामांकन की सुविधा	RTE अंतर्गत अधिसूचित नोडल अधिकारी *	जिला शिक्षा अधिकारी	
16	नामांकन से संबंधित सभी सूचनाओं को सार्वजनिक करना	RTE अंतर्गत अधिसूचित नोडल अधिकारी *	जिला शिक्षा अधिकारी	
17	नामांकन में पारदर्शिता का पालन	RTE अंतर्गत अधिसूचित नोडल अधिकारी *	जिला शिक्षा अधिकारी	
18	मान्यता प्राप्त विद्यालय में वर्ग 1 में कमजोर वर्ग एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों का 25% सीटों पर नामांकन	RTE अंतर्गत अधिसूचित नोडल अधिकारी *	जिला शिक्षा अधिकारी	
19	25% कोटि का रैडण्म आधार पर नामांकन	RTE अंतर्गत अधिसूचित नोडल अधिकारी *	जिला शिक्षा अधिकारी	

		प्रोत्साहन		
20	निःशुल्क पाठ्य पुस्तक निःशुल्क कार्यवाही पुस्तिका	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी	
21	निःशुल्क स्टेशनरी	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी	
22	निःशुल्क गणवेश	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी	
23	छात्रवृत्ति की व्यवस्था (जिनके लिए लागू हो)	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी	
		शिक्षक		
24	बच्चों को शारीरिक दण्ड एवं मानसिक प्रताड़ना नहीं देना	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी	
25	बच्चों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी	
26	35 बच्चों पर एक शिक्षक की व्यवस्था / वर्ग VI से VIII के लिए विषय शिक्षक	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी	
27	शिक्षक के द्वारा प्राईवेट ट्युशन नहीं करना	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी	
28	शिक्षकों को अपने कार्य के प्रति उत्तरदायित्व	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी	
29	शिक्षकों के द्वारा गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करना	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी	
30	बच्चों का प्रगति पत्रक संधारित करना	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी	
31	बच्चों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी	
		भौतिक सुविधायें		
32	सभी मौसम में पढ़ाई लायक भवन	जिला शिक्षा अधिकारी	संचालक लोक शिक्षण संचालनालय , छ.ग.	
33	आवश्यकतानुसार वर्ग कक्ष की व्यवस्था	जिला शिक्षा अधिकारी	संचालक लोक शिक्षण संचालनालय , छ.ग.	
34	छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग–अलग शौचालय	जिला शिक्षा अधिकारी	संचालक लोक शिक्षण संचालनालय , छ.ग.	

	स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था	जिला शिक्षा अधिकारी	संचालक लोक शिक्षण संचालनालय , छ.ग.	
36	चाहरदिवारी / घेरा की व्वयस्था	जिला शिक्षा अधिकारी	संचालक लोक शिक्षण संचालनालय , छ.ग.	
37	भोजन बनाने के लिए रसोई घर / किचन शेड	जिला शिक्षा अधिकारी	संचालक लोक शिक्षण संचालनालय , छ.ग.	
38	पुस्तकालय की व्यवस्था	जिला शिक्षा अधिकारी	संचालक लोक शिक्षण संचालनालय , छ.ग.	
39	खेलने के लिए मैदान की व्यवस्था	जिला शिक्षा अधिकारी	संचालक लोक शिक्षण संचालनालय , छ.ग.	
40	खेल सामग्री की व्यवस्था	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी	
	विद्यालय प्रबंधन			
41	वर्ष मे 220 दिन विद्यालय का संचालन	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी	
42	विद्यालय भवन का गलत उपयोग नहीं करना	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी	
43	विद्यालय की भौतिक सुविधाओं का रख रखाव।	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी	
44	आवश्कतानुसार छात्र–छात्राओं को स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गत करना	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी	
45	पढाई पूरी करने पर पूर्णता का प्रमाण पत्र देना	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी	
46	छात्रों का विद्यालय से नाम नहीं काटना	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी	
	पाठ्यक्रम			
47	निर्धारित पाठ्यचर्या (Currriculum) एवं पाठयक्रम (Syllabus) के अनुसार पढ़ाई	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी	
48	विद्यालय में संवैधानिक मूल्यों का अनुपालन	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी	
	शाला प्रबंधन समिति			
49	शाला प्रबंधन समिति का गठन	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी	
50	शाला प्रबंधन समिति को नियमानुसार कार्य करना	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी	

	शाला प्रबंधन समिति द्वारा विद्यालय विकास योजना तैयार करना	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी	
52	शाला प्रबंधन समिति द्वारा विद्यालय क्रियाकलापों का अनुश्रवण	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी	

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग